

छत्तीसगढ़ शासन  
ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 28/08/2017

क्रमांक एफ 11-1/2011/13/1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय / निकाय अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	नवीन "अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिवस	अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विभाग में पदस्थ सचिव	विभाग के भारसाधक सचिव
2	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	"अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण	15 दिवस	अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विभाग में पदस्थ सचिव	विभाग के भारसाधक सचिव
3	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	विद्युत विनियम (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) 2010 के विनियम 32 एवं 36 एवं 43 के तहत विद्युत अधिष्ठान का रेखाचित्र की स्वीकृति/ निरीक्षण / अनुमति	30 दिवस	अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विभाग में पदस्थ सचिव	विभाग के भारसाधक सचिव
4	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	विद्युत विनियम (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) 2010 के विनियम 32 एवं 36 एवं 43 के तहत विद्युत अधिष्ठान का रेखाचित्र की स्वीकृति/ निरीक्षण / अनुमति	30 दिवस	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	अधीक्षण अभियंता (विसु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विभाग में पदस्थ सचिव

निरंतर .....2..

28/

5	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट प्रमाण पत्र	30 दिवस	अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विभाग में पदस्थ सचिव	विभाग के भारसाधक सचिव
---	---------------------------	---	---------	--	----------------------	-----------------------

2/ यह अधिसूचना राजपत्र पर प्रकाशन होने की तिथि से लागू मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*CSH*  
28/8/17

(एम0एस0 रत्नम)  
विशेष सचिव,

छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग.

नया रायपुर, दिनांक 28/08/2017

पृ.क्रमांक एफ 11-1/2011/13/1

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. संचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

6. अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर, इंद्रावती भवन के पीछे, एनिमिटीज ब्लॉक, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ हेतु।
8. आदेश फोल्डर हेतु।

*CSH*  
28/8/17

विशेष सचिव,

छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग.

30 AUG 2017  
SS(F2)